कार्यालय, अंचल अधिकारी, कोडरमा।

श्री गुरू प्रसाद गुप्ता,
पिता स्व0 राम किशुन राम,
ग्राम-- झु0 ति0,
जिला--कोडरमा।

विविध वाद सं0 55/2016-17

23/12/16 आवेदक गुरू प्रसाद गुप्ता, पिता स्व0 राम किशुन राम, ग्राम-- झु0 ति0, जिला--कोडरमा के द्वारा आवेदन दिया गया है कि मौजा तिलैया, थाना नं0 244, खाता नं0 1046, प्लॉट नं0 7690, रकवा 0.06 ए0 भूमि की सरकारी रसीद इनके पिता राम किशुन राम पिता पूनित राम के नाम से खातियान दर्ज है। पंजी ।। के पृष्ठ सं0 174/5 पर राम किशुन राम के नाम से रसीद निर्गत होते आ रहा था, रसीद वर्ष 2007--08 तक निर्गत है। पंजी ।। फटा होने के कारण राजस्व कर्मचारी के द्वारा मालगुजारी रसीद निर्गत नहीं किया जा रहा है। आवेदक द्वारा उक्त जमीन का अद्यतन मालगुजारी रसीद निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है। अतएव उक्त भूमि के संबंध में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जॉच प्रतिवेदन की मांग करें।

अभिलेख दिनांक 16/01/17 को उपस्थापित करें।

23/12/16

अंचल अधिकारी,
कोडरमा ।

16/01/17 अभिलेख उपस्थापित।

17/04/17 हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉच कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदित किया गया है कि स्थानीय जांच के क्रम में पाया गया कि उक्त भूमि पर आवेदक का दखल कब्जा है। आवेदक एवं अन्य हिस्सेदारों द्वारा बताया गया कि इसी भूमि में बने मकान में आवेदकगण सपरिवार निवास करते हैं। मौजा तिलैया, थाना नं0 244, खाता नं0 1046, प्लॉट नं0 7690, रकवा 0.06 ए0 भूमि का जमाबन्दी पंजी ।। के पेज नं0 174/5 पर राम किशुन राम पिता पूनित राम के नाम से दर्ज था। उक्त भूमि रैयती खाते की है। उक्त भूमि की जमाबन्दी पंजी ।। वर्षो पुराना होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। जिस कारण जमाबन्दी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। स्थल जांच के कम में श्री अजय घोष, अंजनी कुमार, अब्दुल समद, मनोज कुमार भदानी, सुनील कुमार मगधिया वगैरह से पुछताछ की गई। इनके द्वारा बताया गया कि उक्त जमीन पर जमाबन्दीधारक का दखल कब्जा है। किसी के द्वारा किसी प्रकार का आपति दर्ज नहीं कराया गया है।

आवेदक के द्वारा लगान रसीद 816024, दि0 09.07.07 की छायाप्रति संलग्न किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि का जमाबन्दी पंजी ।। पर राम किशुन राम पिता पूनित राम के नाम से दर्ज था। अंचल नाजिर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि लगान रसीद सं0 816024, दि0 09.07.07 को रसीद भण्डार पंजी से मिलान करने पर भण्डार पंजी में दर्ज पाया गया।

Scanned with CamScanner

अंचल अमीन के मापी प्रतिवेदन के अनुसार मौजा तिलैया, थाना नं0 244, खाता नं0 1046, प्लॉट नं0 7690, रकवा 0.06 ए0 का स्थल जांच किया गया, जिसमें पाया गया कि खाता नं0 1046, प्लॉट नं0 7690, रकवा 3.28 डी0 पर आवेदक का मकान बना हुआ है। उक्त भूमि पर आवेदक का दखल कब्जा है। जिसमें गुरू प्रसाद एवं संतोष प्रसाद पिता स्व0 रामकिशुन प्रसाद निवास करते हैं। स्थल पर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार का कोई आपति नहीं किया गया।

उल्लेखनीय है कि फटे हुये पंजी ।। का नया जमाबन्दी खोलने हेतु अपर समाहर्त्ता, कोडरमा के आदेश ज्ञापांक 140/रा0 दिनांक 02.02.16 से दिशा निर्देश प्राप्त है।

राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर अंचल अमीन के मापी प्रतिवेदन के अनुसार मौजा तिलैया, थाना नं0 244, खाता नं0 1046, प्लॉट नं0 7690, रकवा 3.28 डी0 पर आवेदकगण का दावा स्पष्ट है। राजस्व अभिलेखों की त्रुटि के लिए रैयत के हित को प्रभावित किया जाना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। राजस्व हित में संबंधित भू-भाग से राजस्व की वसूली राज्य हित में है। ऐसे मामले में अपर समाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा जमाबन्दी कायम करने का आदेश प्राप्त है।

अतः उपर्युक्त के आलोक में मौजा तिलैया, थाना नं0 244, खाता नं0 1046, प्लॉट नं0 7690, रकवा 3.28 डी0 भूमि की जमाबन्दी जमाबंदीधारक राम किशुन राम पिता पूनित राम के नाम से कायम करने का आदेश दिया जाता है। संबंधित राजस्व कर्मचारी अनुपालन प्रतिवेदन एक पक्ष के अन्दर प्रस्तुत करें।

अंचल अधिकारी,
कोडरमा ।